न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 41/2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री रामदेव गुर्जर पुत्र श्री रामचन्द्र गुर्जर (विक्रेता एवं प्रोपराईटर), मैसर्स श्री देवनारायण भोजनालय, अमोलक भवन, बस स्टैण्ड, अजमेर।
2. मैसर्स श्री देवनारायण भोजनालय, अमोलक भवन, बस स्टैण्ड, अजमेर।

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51के तहत

अप्रार्थी अभिभाषक श्री सत्यनारायण तँवर

–: आदेश :–

दिनांक–30.06.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारां 26 की उपधारा 2 (।।)का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीदबिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.05.2024 को दोपहर 04:45 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुशील कुमार चोटवानी, मैसर्स देवनारायण भोजनालय, अमोलक भवन, बस स्टैण्ड अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे।विक्रेता की हैसियत से श्री रामदेव गुर्जर मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

निरीक्षण के दौरान फ्रिजर में स्टील की ट्रे में 03 किलोग्राम पनीर विक्रय हेतु रखा हुआ मिला।उक्त पनीर कीं गुणवत्ता का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 01 किलोग्राम पनीर 280/– रूपयें श्री रामदेव गुर्जर को नगद देकर गवाह श्री अजय मोयल के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री रामदेव गुर्जरको सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा पनीर को विक्रेता के सामने चार सूखी खाली प्लास्टिक बोतल में प्रत्येक में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–4316 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/8984 दिनांक 04.06.2024अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/583/एक्ट/2024/611 दिंनांक 24.05.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया पनीर अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक07.11.2024 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 07.11.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 08.01.2025 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 12.03.2025को अप्रार्थी संख्या 1, की ओर से श्रीसत्यनारायण तँवर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं दिनांक 23.05.2025को अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब पेश किया गया।

नियत पेशी दिनांक 30.06.2025 को अप्रार्थी की ओर से वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद का अवलोकन किया गया।अप्रार्थीगण ने अपने लिखित प्रत्युत्तर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उसके द्वारा वैद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त कर नियमानुसार भोजनालय का संचालन किया जा रहा है, उसके भोजनालाय पर विक्रय किया गया पनीर उसके द्वारा निर्मित नहीं किया गया है अपितु शिव डेयरी, गंज अजमेर द्वारा क्रय की गयी है तथा इस तथ्य से निरीक्षण के समय खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अवगत भी कराया दिया गया था, अतः जवाब को स्वीकार किया जाकर उसके विरूद्ध परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद को निरस्त किया जावे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किये गये पनीर अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया पनीर अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगणद्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदाथ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर रू.25,000/- (अक्षरे रू. पच्चीस हजार) की शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 30.06.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 30.06.2025को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
सत्यमेव जयते
अजमेर

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर
अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर
4. श्री रामदेव गुर्जर पुत्र श्री रामचन्द्र गुर्जर (विक्रेता एवं प्रोपराईटर), मैसर्स श्री देवनारायण भोजनालय, अमोलक भवन, बस स्टैण्ड, अजमेर।
5. मैसर्स श्री देवनारायण भोजनालय, अमोलक भवन, बस स्टैण्ड, अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर